

पन्नालाल बनाम हगामी व अन्य
प्र०सं०—: 37 / 2022(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:—25 / 02 / 2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी:— अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 37 / 2022 (रे०वाद)

दायर दिनांक :- 24 / 03 / 2022

निर्णय दिनांक :- 25 / 02 / 2025

अनवान

1. पन्ना लाल पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 67 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान

—वादी

बनाम

1. हगामी लाल पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 45 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. लाल चन्द पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 45 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:—

1 वादी की ओर से :- श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता


2 प्रतिवादी की ओर से :-अनुपस्थित

वाद बाबत् 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता सख्या 62 खसरा न. 93 रकबा 0.0100 हैक्टर , खसरा न. 94 रकबा 1.1300 हैक्टर कुल किता 2




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

पन्नालाल बनाम हगामी व अन्य
प्र०सं०-: 37 / 2022(रि०वाद)
निर्णय दिनांक:-25 / 02 / 2025

रकबा 1.1400 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादी अपने हिस्से कि भूमी पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजीयात में प्रतिवादीगण का सयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं माफिक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण कास्त कर रहे है। वादी अपनी भूमी पर माफिक हिस्से अनुसार कास्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	पन्नालाल पुत्र किस्तुर कलाल सा० देह खातेदार	94	0.3600	चाही 1	10.44
2.	लालचन्द पुत्र किस्तुर कलाल सा० देह खातेदार	94 / 2	0.3600	चाही 1	10.44
3.	हगामीलाल पुत्र किस्तुर कलाल सा० देह खातेदार	94 / 1	0.3600	चाही 1	10.44
4.	पन्नालाल पुत्र किस्तुर 1/3, लालचन्द पुत्र किस्तुर 1/3, हगामीलाल पुत्र किस्तुर 1/3 सा० देह खातेदार	93 94 / 3	0.01 0.05	गै.मु.आ.चा. चाही 1	- 1.45
योग		किता-05	1.1400		32.77

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिर्कार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी B.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द
जिला राजसमन्द



पन्नालाल बनाम हगामी व अन्य
प्र0सं0-: 37 / 2022(रि0वाद)
निर्णय दिनांक:-25 / 02 / 2025
अन्तिम डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पिठासीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 37 / 2022

अनवान

1. पन्ना लाल पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 67 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान

—वादी

बनाम

1. हगामी लाल पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 45 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. लाल चन्द पिता किस्तुर जाति कलाल आयु 45 वर्ष निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद बाबत विभाजन
वादी की ओर से :- श्री गोविन्द कंसारा , अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से :- अनुपस्थित।

में इस आशय दिनांक 25/02/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी एव प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 62 खसरा न. 93 रकबा 0.0100 हैक्टयर , खसरा न. 94 रकबा 1.1300 हैक्टयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.1400 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादी अपने हिस्से कि भूमी पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजियात में प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं माफिक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण कास्त कर रहे हैं। वादी अपनी भूमी पर माफिक हिस्से अनुसार कास्त कर उपयोग




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

पन्नालाल बनाम हगामी व अन्य
प्र०सं०—: 37 / 2022(रि०वाद)

निर्णय दिनांक:—25/02/2025

उपभोग कर रहा है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	पन्नालाल पुत्र किस्तुर कलाल सा०देह खातेदार	94	0.3600	चाही 1	10.44
2.	लालचन्द पुत्र किस्तुर कलाल सा० देह खातेदार	94/2	0.3600	चाही 1	10.44
3.	हगामीलाल पुत्र किस्तुर कलाल सा० देह खातेदार	94/1	0.3600	चाही 1	10.44
4.	पन्नालाल पुत्र किस्तुर 1/3, लालचन्द पुत्र किस्तुर 1/3, हगामीलाल पुत्र किस्तुर 1/3 सा० देह खातेदार	93 94/3	0.01 0.05	गै.मु.आ.चा. चाही 1	— 1.45
योग		किता-05	1.1400		32.77

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़ जिला-राजसमन्ध